

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

लाइली खातून

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

(2021 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 841)

30 अगस्त, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या यह रिट याचिका ग्राह्य है जब सिविल न्यायालय द्वारा पहले ही स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका है, धारा 82/83 दंप्रसं की कार्यवाही पूरी हो चुकी है और अभियुक्त को गिरफ्तार करने हेतु पुलिस द्वारा प्रयास किए गए हैं?

हेडनोट्स

पुलिस तथा माननीय जिला न्यायालय द्वारा सभी संभावित कदम उठाए गए हैं, जिनमें धारा 82/83 के अंतर्गत कार्यवाही भी शामिल है, ताकि फरार अभियुक्त की उपस्थिति माननीय जिला न्यायालय के समक्ष सुनिश्चित की जा सके और फरार अभियुक्त के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा चुका है। (पैरा 9)

अतएव, इस न्यायालय द्वारा कोई और निर्देश जारी नहीं किया जा सकता, विशेषकर जब माननीय जिला न्यायालय ने स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। (पैरा 10)

न्याय दृष्टान्त

कोई नहीं।

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860 (धारा 493, 307, 34); दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (धारा 3, 4); दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (धारा 82, 83, 299)

मुख्य शब्दों की सूची

स्थायी गिरफ्तारी वारंट; भगोड़ा अभियुक्त; धारा 82/83 दंप्रसं; धारा 299 दंप्रसं; दहेज निषेध अधिनियम; रिट याचिका खारिज

प्रकरण से उत्पन्न

जमुई थाना कांड संख्या 40/1996

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री निशांत कुमार सिन्हा

प्रत्यर्थियों की ओर से : श्री मनीष कुमार, डॉ. संजय पारसमणि

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2021 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 841

थाना मामला संख्या 40 वर्ष 1996 थाना- जमुई जिला- जमुई से उत्पन्न

=====

लाडली खातून पिता अबुल कलाम निवासी गाँव-अदसर, थाना.-जमुई, जिला-जमुई

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव गृह विभाग बिहार सरकार, पटना बिहार के माध्यम से बिहार राज्य।
2. पुलिस अधीक्षक, जमुई बिहार
3. पुलिस उपाधीक्षक, जमुई बिहार
4. प्रभारी अधिकारी, जमुई थाना बिहार

..... उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री निशांत कुमार सिन्हा
उत्तरदाता/ओं के लिए: श्री मनीष कुमार
डॉ. संजय पारसमणी

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा

न्याय और आदेश

सी. ए. वी.

तारीख: 30-08-2023

वर्तमान रिट आवेदन उत्तरदाताओं-पुलिस अधिकारियों को फरार आरोपी, असीरम निशा के खिलाफ 1998 के सत्र परीक्षण संख्या 568 ए में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं. 2, जमुई, दिनांक 30.03.2017 द्वारा जारी गिरफ्तारी के स्थायी वारंट को निष्पादित करने के निर्देश के लिए दायर किया गया है।

2. याचिकाकर्ता, लाडली खातून के फर्दबयान के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 493/307/34 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अन्तर्गत दंडनीय अपराधों के लिए, जमुई पुलिस थाना कांड संख्या 40/1996 के अन्तर्गत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया है कि सह-अभियुक्त मोहम्मद सूफियान के पिता, अब्दुल वदूद

ने याचिकाकर्ता के पिता से संपर्क किया था कि वह याचिकाकर्ता को उसकी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए भेजें और आश्वासन दिया था कि उसकी शादी उनके बेटे, मोहम्मद सूफियान से कर दी जाएगी। सह-आरोपी मोहम्मद सूफियान के पिता के आश्वासन पर, याचिकाकर्ता ने अपना नर्सिंग कार्य शुरू कर दिया और आठ महीने बाद, शाम को, सह-आरोपी मोहम्मद सूफियान याचिकाकर्ता के कमरे में घुस आया और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लिया। याचिकाकर्ता ने पूरी घटना सह-आरोपी मोहम्मद सूफियान की माँ, अनिसुर निशा को बताई, जिन्होंने याचिकाकर्ता को आश्वासन भी दिया कि उनके बेटे की शादी याचिकाकर्ता के साथ कर दी जाएगी और अभियुक्तों द्वारा दिए गए इस आश्वासन और विश्वास पर, वह सह-आरोपी मोहम्मद सूफियान के साथ पति-पत्नी के रूप में रहने लगीं। याचिकाकर्ता द्वारा लगातार विवाह करने के अनुरोध पर, उसे सह-आरोपी मोहम्मद सूफियान की आजीविका के लिए एक ट्रैक्टर खरीदने हेतु 72,000 रुपये की व्यवस्था करने के लिए कहा गया और उक्त राशि याचिकाकर्ता के पिता द्वारा भुगतान की गई। बाद में, याचिकाकर्ता से 50,000 रुपये की फिर से मांग की गई और भुगतान करने से इनकार करने पर, उसे घर से निकाल दिया गया।

3. जांच के बाद, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जिनमें सह-आरोपी मोहम्मद सूफियान की माँ अनिसुर निशा भी शामिल हैं, जिन्हें 22.12.1997 के आदेश के अन्तर्गत फरार घोषित किया गया है और एक अन्य सह-आरोपी मोहम्मद वदूद की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई। विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जमुई ने संज्ञान लिया और मामले को 14.05.1998 को सत्र न्यायालय को सौंप दिया और विद्वान सत्र न्यायाधीश, जमुई ने मुकदमे और निपटारे के लिए मामले को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय नंबर 2, जमुई को स्थानांतरित कर दिया।

4. तदनुसार, 1998 का सत्र परीक्षण सं. 568 अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिनके नाम मो. अनवर, मो. ताबीर और मो. सूफियान, और चूँकि सह-

अभियुक्त मोहम्मद सूफियान की माँ, अर्थात् अनीसुर निशा, फरार थी, उसके मुकदमे को अलग कर दिया गया और 1998 के सत्र परीक्षण संख्या 568 ए के रूप में दर्ज किया गया।

5. 1998 के सत्र परीक्षण सं. 568 ए में पारित दिनांक 28.05.2008 के आदेश के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82/83 की प्रक्रिया पूरी करने के बाद, 1998 के सत्र परीक्षण सं. 568 ए के अभिलेखों को रिकॉर्ड कक्ष में भेजा गया था, जिसमें यह दर्ज किया गया था कि 1998 के सत्र परीक्षण सं. 568 में फरार की अनुपस्थिति में दर्ज साक्ष्य का उपयोग उसकी गिरफ्तारी पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 299 के अन्तर्गत किया जाएगा।

6. 17.01.2017 को, सूचक-याचिकाकर्ता द्वारा 1998 के सत्र परीक्षण संख्या 568 ए में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें अनुरोध किया गया था कि 1998 के सत्र परीक्षण संख्या 568 ए का रिकॉर्ड गिरफ्तारी का स्थायी वारंट जारी किए बिना 28.05.2008 को रिकॉर्ड कक्ष में भेजा गया था। 30.03.2017 को, 1998 के सत्र परीक्षण संख्या 568A का अभिलेख रिकॉर्ड कक्ष से प्रस्तुत किया गया था और याचिकाकर्ता-सूचक की ओर से नए वकालतनामे के साथ उपस्थिति दर्ज की गई थी। अभिलेख के अवलोकन पर, यह पाया गया कि दिनांक 28.05.2008 के आदेश का पालन नहीं किया गया था और फरार अनीसुर निशा के खिलाफ गिरफ्तारी का स्थायी वारंट जारी नहीं किया गया था। तदनुसार, विद्वान जिला न्यायालय ने गिरफ्तारी का स्थायी वारंट जारी करने का निर्देश दिया, जो फरार अनीसुर निशा के खिलाफ जारी नहीं किया गया था।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तरदाता अधिकारियों ने फरार व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और 1998 के सत्र परीक्षण संख्या 568 ए में मुकदमे का सामना करने के लिए उसे विद्वान जिला न्यायालय के समक्ष पेश करने में विफल रहे हैं।

8. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने, प्रति-शपथपत्र की विषय-वस्तु का हवाला देते हुए, तर्क दिया कि फरार की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम पुलिस द्वारा उठाए गए थे और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82/83 के अन्तर्गत उद्घोषणा और कुर्की की प्रक्रिया भी की गई थी। हाल ही में, गिरफ्तारी का स्थायी वारंट जारी होने के दो दिन बाद, यानी 27.08.2020 और 09.09.2021 को, पुलिस द्वारा फरार व्यक्ति के घर में छापेमारी की गई, लेकिन वह घर में नहीं मिली। इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रति-शपथपत्र में प्रति-शपथपत्र के अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न की गई है, जिसे थाना प्रभारी, जमुई द्वारा पुलिस अधीक्षक, जमुई को प्रस्तुत किया गया है। जासूस को भी तैनात कर दिया गया है और फरार व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।

9. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पुलिस के साथ-साथ विद्वान जिला न्यायालय द्वारा सभी संभावित कदम उठाए गए हैं, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82/83 के अन्तर्गत प्रक्रिया भी शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फरार जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो और फरार के खिलाफ गिरफ्तारी का स्थायी वारंट भी जारी किया गया है।

10. इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा आगे कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब विद्वान जिला न्यायालय, जो इस मामले से संबंधित है, ने गिरफ्तारी का स्थायी वारंट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 1998 के सत्र परीक्षण संख्या 568 में फरार की अनुपस्थिति में दर्ज साक्ष्य का उपयोग दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 299 के अन्तर्गत 1998 के सत्र परीक्षण संख्या 568 ए में उसकी गिरफ्तारी पर किया जाएगा।

11. तदनुसार, मुझे इस रिट आवेदन में कोई योग्यता नहीं दिखती है।

12. तदनुसार, यह रिट आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

13. लागत के सम्बंध में कोई आदेश नहीं होगा।

(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

प्रभाकर आनंद/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।